फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

कन्हैयालाल बनाम [illegible] 17

मुकदमा नम्बर :- /

धारा 13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	24/9/25	प. का. पेश। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आइन्दा रिपोर्ट हेतु दिनांक 13/10/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर	
	13/10/25	प. का. पेश। तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट पेश हुई को शामिल पत्रावली किया गया। आपत्ति / निरस्त हेतु इश्तहार जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते आपत्ति/निरस्त दिनांक 17/10/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर	
	17/10/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/10/25 को पेश हो। [signature]	
	31/10/25	प. का. अन्य आपत्ति / निरस्त नहीं की जाकर वादी ही बहस हेतु [illegible] किया गया। आपत्ति / निरस्त बन्द किया जाता है। [illegible] बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस [illegible] सुनी गयी। बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर [illegible]/23/2009

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पत्रावली लिया गया। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली [illegible] होकर [illegible] नम्बर [illegible] हो तथा अभिलेख दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–322/23/2009

उनवान

1. कन्हैयालाल
2. बाबूलाल पुत्रान रामगोपाल जाति जाट, निवासी कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादीगण–

बनाम

1. सोभागमल जांगिड पुत्र रामस्वरूप जांगिड निवासी एफ 50–51 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, तहसील चोमू जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर।
3. रामा देवी पत्नी स्व0 रूघनाथ
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 रूघनाथ
   4/1. हंसा देवी पत्नी स्व0 सुरेश कुमार
   4/2. राजवीर पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
   4/3. पुजा पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   4/4. किन्जल पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   4/5. कविता पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   पक्षकार संख्या 4/2 ता 4/5 नाबालिक जरिये संरक्षिका माता श्रीमती हंसा देवी समस्त जाति जाट नीलो कि ढाणी ग्राम कालाडेरा तह0 चौमूँ जिला जयपुर।
5. प्रेमदेवी पुत्री स्व0 रूघनाथ
6. सन्तीष देवी पुत्री स्व0 रूघनाथ
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नीलो की ढाणी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–31.10.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के पुश्तैनी रूप से रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है । वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1920 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1921 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1922 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1923 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1924 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1925 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1926 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1927 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1928 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1929 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

1930 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1931 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1932 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1933 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1934 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1935 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1936 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1937 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1938 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2007/3682 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2007/3942 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2008 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2009/3683 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2009/3943 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 3 का रकबा 5.18 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित है जिसमें से खसरा नम्बर 2007/3682 व 2007/3942 जो वादीगण की खातेदारी भूमि के पूर्वी सीमा पर स्थित है, जिसको वाद में आगे चलकर भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादीगण का हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 2/3 भाग है एवं अन्य हिस्सा अन्य खातेदारो का है वादीगण व अन्य सहखातेदारो ने उक्त भूमि को मनबंट के आधार पर बाट रखा है, जिसमें वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में पूर्वी तरफ की भूमि आई हुई है, जिस पर काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपनी पूर्वी सीमा से होते हुये चारो ओर कच्ची खाम डोल बना रखी है एवं सीमाएं पुश्तैनी रूप से महदूद कर रखी है और वर्तमान में गैहु की फसल बो रखी है। वादीगण की खातेदारी भूमि विवादग्रस्त पूर्वी सीमा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया कालाडेरा से लगती हुई है, इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की एक दीगर व्यक्ति है इसका नाजायज फायदा उठा कर वादीगण की खातेदारी भूमि में बदनियतिपूर्वक जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लेना चाहजा है इसी आशय से वह वादीगण की पूर्वी तरफ की सीव पर स्थित वादीगण की खाम डोल को तोड कर जबरन प्रवेश कर, फसल को नष्ट कर नीवं खोद कर निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है और आये दिन वादीगण की पूर्वी सीमा की सीवं तोड कर फसल को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। इसी उद्धेश्य से प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 08.01.2009 को भूमि विवादग्रस्त की पूर्वी सीमा पर निर्माण सामग्री डाल कर कारीगर मजदूर लगा कर जबरन पिल्लरो का निर्माण करने लगा, जिसके बारे में प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में वादीगण ने लिखित में रिपोर्ट दी, जिस पर उस समय तो प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्माण कार्य रोक दिया, लेकिन अब थोडा समय गुजरते ही दिनांक 05.02.2009 दिन में 5–7 कारीगर लगा कर जबरन वादीगण की विवादग्रस्त भूमि के पूर्वी सीमा में जबरन घुस कर नींव खोद कर पिल्लरो व डण्डे का निर्माण चालू कर दिया इस पर वादीगण ने मना किया कि उक्त भूमि वादीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमि है, जिसकी सींव डोल तोडफोड कर फसल नष्ट नही करे, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारा उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है, मै इस भूमि पर पुख्ता निर्माण कर, कब्जा करके रहुगा एवं तुम्हे यहां से बेदखल करूगा, तुम्हे करना है, सो करो। इस बारे में प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में बार बार लिखित व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मौखिक में प्रार्थना पत्र भी दिये लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 2007/3942, व 2007/3682 की पूर्वी सीमा की अर्से दराज से महदूद सीवं डोल को तोडफोड नहीं करे, ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही खाम या पुख्ता निर्माण कर कब्जा करे, ना ही वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे, ना ही वादीगण के कब्जे में दखल कारित करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कार्यो में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सहयोग करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन आदि के जरिए करवाये।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक शामलाती खातेदारी की भूमि है, जिसका अभी तक विधिवत विभाजन हो रखा है, इसलिए कानूनन ही शामलाती खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह–खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर अधिकार व कब्जा निहित होता है, इसलिए वादीगण का यह कहना कतई विधि विरूद्ध एव गलत है कि उक्त भूमि के पूर्वी दिशा की ओर की भूमि केवल वादीगण के हक हिस्से व कब्जे की भूमि हो। चुकिं वादीगण ने स्वयं स्वीकृत रूप से यह माना है कि खसरा नम्बर 2007/3942 व खसरा नम्बर 2007/3682 में मात्र वादीगण का 2/3 हिस्सा है, शेष हिस्सा दीगर खातेदारो का है, जिनको वादीगण द्वारा उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया है, इसलिए वादीगण का उक्त वाद पत्र तो मिस जोईन्डर पार्टी के विधिक प्रावधनों के तहत कानूनन ही मेनेटेवल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है, वादीगण का यह कहना भी गलत है कि कोई खाम डोल उन्होने बना रखी है। वादीगण की खातेदारी भूमि रिको इण्डस्टीयल एरिया कालाडेरा के व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 50–51 के लगती हुई स्थिति है, वादीगण ने इस वाद में इस अहम तथ्य को छुपाया है कि विवादित भूमि ओर किन किन व्यवसायिक भूखण्डो से लगती हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 रिको से कालाडेरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 50 दिनांक 22.09.95 को विनायक एन्टर प्राइजेज के नाम से व्यवसायिक कार्य हेतु अलाटमेंट होने के पश्चात् लीजडीड रोको से दिनांक 29.01.1998 को निष्पादित होकर रजिस्टर्ड हुई है। अतः उसके रजिस्टर्ड स्वामी श्री रामसहाय जांगिड द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा मौके पर मालिकाना प्राप्त कर उक्त भूखण्ड की चारो ओर पुख्ता डण्डे का निर्माण करवाया था

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी माप पूर्व–पश्चिम 30 मीटर व उत्तर– दक्षिण 56.50 मीटर है, जिस पर मन उत्तरदाता बाद अलाटमेन्ट विनायक एन्टर प्राईजेज के नाम से उक्त व्यवसायिक भूखण्ड एफ 50 में टिन शेड बना उसमें मशीनरी इत्यादि लगाकर /बोरिंग बनाने का व्यवसाय कर उपयोग–उपभोग में ले रहा है जिससे वादीगण का कोई विधिक संबंध सरोकार नहीं है। वादीगण को मिन प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ, वादी ने बदनियतीवश मिन प्रतिवादीगण को भूखण्ड आवंटन की तिथि से ही हैरान व परेशान करने की गरज से मौका स्थिति को छुपाते हुये झुठा वाद कारण बनाकर उक्त वाद पत्र पैश किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः जबाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि वादीगण का वाद पत्र झूठा व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर व मौके की स्थिति से विपरित होने से खारिज फरमाये जावे।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु यह भी न्यायिक दृष्टि से समीचीन है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक अधिकारों भूखण्ड पर का हनन भी ना करे। ओर विवादग्रस्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे कि पक्षकारों के अधिकारो का अभिनिर्णय हो सके। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1920 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1921 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1922 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1923 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1924 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1925 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1926 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1927 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1928 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1929 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1930 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1931 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1932 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1933 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1934 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1935 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1936 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1937 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1938 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2007/3682 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2007/3942 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2008 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2009/3683 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2009/3943 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 3 का रकबा 5.18 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है जिसमें से खसरा नम्बर 2007/3682 व 2007/3942 के खातेदारान को व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 व रिको को सीमाओ के निर्धारण हेतु नियमानुसार पूर्व में नोटिस दिया जाकर सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान के चिन्ह कायम किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। साथ ही रीको को भी पृथक से सिमाज्ञान का नोटिस जारी हो। जिससे कि रीको की उपस्थिति औद्योगिक क्षैत्र कालाडेरा के इन खसरों का सिमाज्ञान उसकी उपस्थिति में हो सके।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्र0) मुख्यालय चौमूँ

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–322/23/2009

उनवान

1. कन्हैयालाल
2. बाबूलाल पुत्रान रामगोपाल जाति जाट, निवासी कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादीगण–

बनाम

1. सोभागमल जांगिड पुत्र रामस्वरूप जांगिड निवासी एफ 50–51 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, तहसील चोमू जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर।
3. रामा देवी पत्नी स्व0 रूघनाथ
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 रूघनाथ
   4/1. हंसा देवी पत्नी स्व0 सुरेश कुमार
   4/2. राजवीर पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
   4/3. पुजा पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   4/4. किन्जल पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   4/5. कविता पुत्री स्व0 सुरेश कुमार
   पक्षकार संख्या 4/2 ता 4/5 नाबालिक जरिये संरक्षिका माता श्रीमती हंसा देवी समस्त जाति जाट नीलो कि ढाणी ग्राम कालाडेरा तह0 चौमूँ जिला जयपुर।
5. प्रेमदेवी पुत्री स्व0 रूघनाथ
6. सन्तीष देवी पुत्री स्व0 रूघनाथ
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नीलो की ढाणी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–322/23/2009

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का खातेदारान को व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 व रिको को सीमाओ के निर्धारण हेतु नियमानुसार पूर्व में नोटिस दिया जाकर सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान के चिन्ह कायम किया जावें। साथ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें। साथ ही रीको को भी पृथक से सिमाज्ञान का नोटिस जारी हो। जिससे कि रीको की उपस्थिति औद्योगिक क्षैत्र कालाडेरा के इन खसरों का सिमाज्ञान उसकी उपस्थिति में हो सके।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner